भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 763

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीयों को वापस भेजना

763. **श्री वी.के. श्रीकंदनः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले वर्ष अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले सैकड़ों भारतीयों को स्वदेश वापस भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने के पीछे मानव दुर्व्यापार संगठन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या अमेरिका ने उन भारतीयों को वापस भेजने के लिए कड़े कदम उठाए हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमत्य समय से अधिक अवधि से रह रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]

(क) से (च): अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग, अपने अधिदेश के तहत, उन विदेशी नागरिकों को नियमित रूप से निर्वासित करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए वैध आधार स्थापित करने में विफल रहते हैं।

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान कुल 519 भारतीय नागरिकों को भारत निर्वासित किया गया। ये निर्वासन अमेरिकी सरकार द्वारा वाणिज्यिक और चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से किए जाते हैं।

प्रवासन और आवाजाही के संबंध में भारत-अमेरिका सहयोग के रूप में, दोनों पक्षकार मानव तस्करी सहित अवैध प्रवासन को रोकने तथा भारत से अमेरिका में वैध आवाजाही के लिए और अधिक मार्ग खोजने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

*****